न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)
:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2024 ::
उनवान विश्राम बनाम राजस्थान सरकार

विश्राम पुत्र रूपा उम्र करीबन 57 साल जाति जाट निवासी कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज। – प्रार्थी

बनाम

भू– धारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।
–अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

निर्णय दिनांक 12.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर क्रमांक 33/2024 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके खसरा संख्या 3373/2288 रकबा 1.4886 हैक्टैयर है, उक्त कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि पर जोत हेतु आने जाने बाबत रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है इस कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने हेतु, निराई गुडाई करने जाने, कृषि यंत्र लाने ले में काफी बाधा, रूकावट, व्यवधान होता है। प्रार्थी कृषि की उपज भी लाने ले जाने में आये दिन परेशान होना पडता है इस कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर काश्त करने हेतु रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता होने से यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि के लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की ग्राम कटसूरा में स्थित खसरा संख्या 2096 रकबा 1.7151 हैक्टैयर है जो प्रार्थी के खेत से लगायत है तथा प्रार्थी पूर्व में इसी से अपनी कृषि भूमि पर आता जाता रहा है। लेकिन उपरोक्त खसरा संख्या में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण आये दिन प्रार्थी को परेशानी ,व्यवधान, रूकावट का सामना करना पडता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार के पास अपनी जोत पर कृषिकीय कार्य हेतु आने जाने के लिये [illegible] रेकार्डेड रास्ता नहीं होने पर व कानूनन श्रीमान के समक्ष आवेदन कर रेकार्डेड रास्ता [illegible] सकता है। उपरोक्त खसरा संख्या 2096 रकबा 1.7151 हैक्टैयर सरकारी भूमि [illegible] अनुसार 30 फीट चौडा रेकार्डेड रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरुद्ध पारित किया जाकर आदेश के पश्चात् राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में उपरोक्त रास्ते की अमल दरामद किये जाने आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:06:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

24.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुये। दिनांक 21.06.2024 ...ीलदार अराई की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें तहसीलदार अराई द्वारा जाहिर किया कि ...ा सेग्रीकेशन जमाबन्दी के अनुसार ग्राम कटसूरा के खसरा संख्या 3373/2288 रकबा 1. ... हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज है उक्त खसरे के निकट ही खसरा संख्या 2096 रकबा 1.7151 ...टेयर किस्म हाडोलाई स्थित है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। खसरा ...ख्या 2096 में से 10 मीटर का रास्ता दिये जाने पर अधिग्रहित रकबा 0.0100 हैक्टेयर बनता ... जिसकी निर्वापित राशि 833135/– के अनुसार 8332 रूपये बनती है। भू.अ.नि. कटसूरा तथा ...पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा पेश किया गया जो इस प्रकार है:–

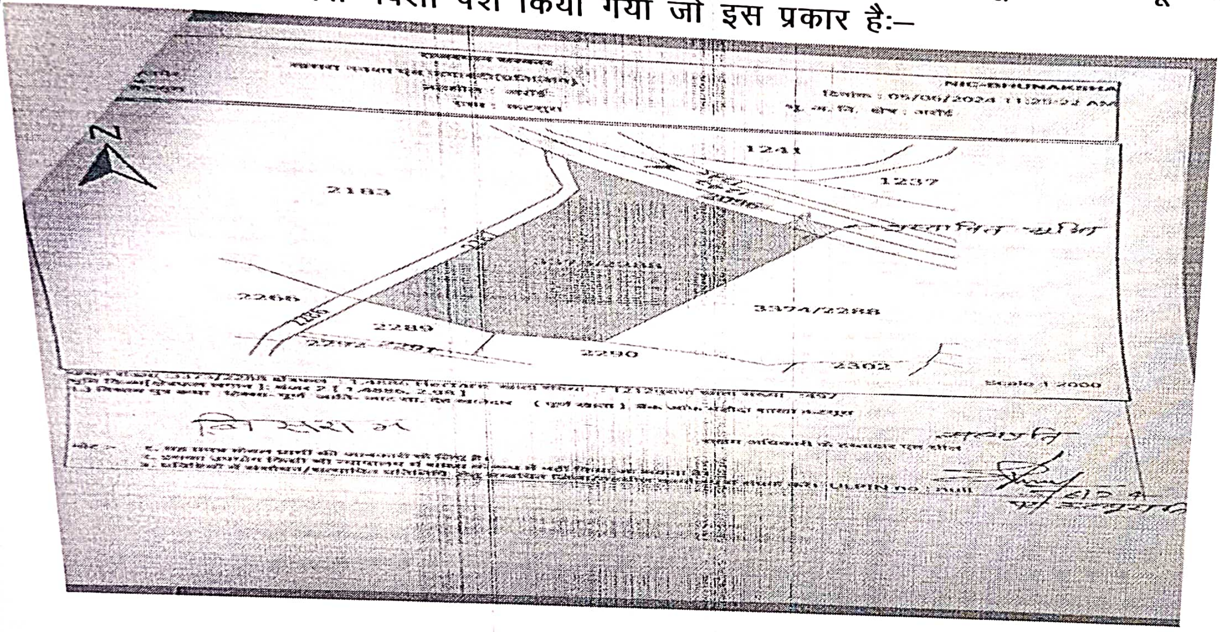

हमारे द्वारा तहसीलदार अराई की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दिनांक 05.07.2024 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

आदेश

प्रकरण में जिस भूमि से रास्ता चाहा गया है तथा प्रस्तावित किया गया है वह भूमि ग्राम कटसूरा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 01 में स्थित भूमि खसरा संख्या 2096 रकबा 1.7151 हैक्टेयर है किस्म गै.मु. हाडोलाई है जो कि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है, उक्त भूमि में से तहसीलदार अरांई ने 10 मीटर चौडाई का रास्ता प्रस्तावित किया है जो कि 30 फीट से अधिक है, साथ ही प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 251(क) के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:06:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

उत्पन्न नहीं होता है।